बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सं0 संख्या–भवन / 10 / निग0(आरोप)–36 / 2017 8878(भ0) पटना, दिनांक– 4.10.17

:: संकल्प ::

श्री बृजा सिंह, तदेन सहायक अभियंता, राजेन्द्रनगर अवर प्रमंडल, पटना भवन प्रमंडल सम्प्रति निलंबित को राजेन्द्र नगर अवर प्रमंडल के पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरों के धावादल द्वारा परिवादी राजेश कुमार से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया जैसा कि संलग्न आरोप प्रपत्र–''क'' में अंतर्विष्ट है।

2. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र ''क'' एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक–6849(भ0) दिनांक–02.08.2017 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह के पत्रांक–शून्य दिनांक–16.08.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सिंह के विरूद्ध संलग्न अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। जिसमें श्री उपेन्द्र नारायण, मुख्य अभियंता (दक्षिण) को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मो0 जहाँगीर आलम, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (उत्तर), उपभाग, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री उपेन्द्र नारायण, मुख्य अभियंता (दक्षिण) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जाय।

बिहार राज्पाल के आदेश से,

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / निग0(आरोप)–36 / 2017 8878(भ0) / पटना, दिनांक– 4.10.17

प्रतिलिपिः–आरोप प्रपत्र–''क'', जाँच–पत्रक एवं साक्ष्य की प्रति के साथ श्री उपेन्द्र नारायण, मुख्य अभियंता (दक्षिण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर संपन्न कर जाँच अभिलेख विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / निग0(आरोप)–36 / 2017 8878 (भ0) / पटना, दिनांक– 4.10.17

प्रतिलिपिः–मो0 जहाँगीर आलम, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (उत्तर), उपभाग, पटना प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी / श्री बृजा सिंह, तदेन सहायक अभियंता, राजेन्द्रनगर अवर प्रमंडल, पटना भवन प्रमंडल सम्प्रति निलंबित (निर्धारित मुख्यालय) मुख्य अभियंता का (कार्यालय) को आरोप प्रपत्र–''क'' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / निग0(आरोप)–36 / 2017.......8878 (अ)......./ पटना, दिनांक– 4.10.17

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरों, बिहार, पटना को प्रेषित।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन / 10 / निग0(आरोप)–36 / 2017.......8878 (अ)......./ पटना, दिनांक– 4.10.17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, के आप्त सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन मिर्नाण विभाग / अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पटना / कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना / सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी अवर सचिव / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/9/17

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

26.9.17